संख्या– /VI(1)/2018–02(04)/2012

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पर्यटन अनुभाग: देहरादून दिनांक: 27 जनवरी, 2018

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से स्वीकृत धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–369/2–3–43/2017–18, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–1362/3/(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत अनुपूरक अनुदान के माध्यम से **12–होटल प्रबन्धन संस्थान, नई टिहरी एवं 18–राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान, अधिष्ठान** हेतु प्रावधानित धनराशि निम्न विवरणानुसार स्तम्भ–3 से 4 तक उल्लिखित लेखाशीर्षकों की स्तम्भ–2 में उल्लिखित मानक मदों में लेखाशीर्षकवार कुल ₹ **49.70** लाख **(₹ उनचास लाख सत्तर हजार मात्र)** की धनराशि व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(₹ धनराशि लाख में)

क्र0सं0	अनुदान संख्या/ लेखाशीर्षक/मानक मद			
	अनुदान संख्या–26, लेखाशीर्षक–3452–पर्यटन–80–सामान्य	3452–पर्यटन–80–सामान्य–001–निदेशन तथा प्रशासन–12–होटल प्रबन्धन संस्थान, नई टिहरी	3452–पर्यटन–80– सामान्य–104–संवर्धन तथा प्रचार–18–राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान अधिष्ठान–00	योगः–
1	2	3	4	5
1	10–जलकर/ जलप्रभार	0.70	–	0.70
2	16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	29.50	18.00	47.50
3	31–सामग्री और सम्पूर्ति	1.50	–	1.50
	योग :–	**31.70**	**18.00**	**49.70**
	महोयाग :–	**49.70**		

2– वितरण अधिकारी के द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 05 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

...2

3– यहा यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3452–पर्यटन–80–सामान्य में उपरिउल्लिखित उप शीर्षक एवं तालिका के स्तम्भ–02 में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–671/XXVII(2)/2018, दिनांक 17 जनवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

6– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी– S.1801260375 द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्याः– 220 /VI(1)/2018–02(04)/2012, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
3– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष।
6– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव।